



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1685 सन् 2026

गणेश और 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अवधेश कुमार यादव
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है: -

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित अनुमोदन आदेश दिनांक 30.09.2025 और उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा अनुशंसित नीलामी दिनांक 20.06.2025 को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा गाटा संख्या 1091 क्षेत्रफल 0.3360 हेक्टेयर का मत्स्य पट्टा जो गाँव लक्ष्मीनगर, परगना विनायकपुर, तहसील नौतनवा, जिला महाराजगंज में तालाब के तौर पर दर्ज है, और उत्तरदाता संख्या 6 के पक्ष में दिया गया और मंजूर किया गया है (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2)।

(ii) परमादेश प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे उत्तरदाता संख्या 2 को यह आदेश, और निर्देश दिया जाए कि वह उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा अनुशंसित नीलामी दिनांक 20.06.2025 को और उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित अनुमोदन आदेश दिनांक 30.09.2025 को रद्द कर दे जो गाँव लक्ष्मीनगर, परगना विनायकपुर, तहसील नौतनवा जिला महाराजगंज में स्थित तालाब गाटा संख्या 1091 क्षेत्रफल 0.3360 हेक्टेयर के मत्स्य पट्टे के संबंध में उत्तरदाता संख्या 6 के पक्ष में जारी किया गया था और साथ ही

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उत्तरदाता संख्या 3 को यह निर्देश दिया जाये कि वह विधि के अनुसार तालाब गाटा संख्या 1091 क्षेत्रफल 0.3360 हेक्टेयर की नीलामी के लिए एक नई विज्ञप्ति प्रकाशित करे।”

2. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जिला अधिकारी, महाराजगंज के साथ-साथ उप जिलाधिकारी, नौतनवा, जिला महाराजगंज द्वारा आज न्यायालय में व्यक्तिगत शपथपत्र दायर किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

3. उपरोक्त शपथपत्रों में कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता, उत्तरदाता संख्या 6 के पक्ष में अनुमोदित नीलामी से असंतुष्ट है तो उसके पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन प्रदान किए गए पुनरीक्षण को दाखिल करने का उपाय उपलब्ध है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

5. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि उत्तरदाता संख्या 6 के पक्ष में दस वर्ष की अवधि के लिए मत्स्य पालन अधिकारों के लिए पट्टा दिया गया है, वह भी 4,000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि के लिए कुल 40,000 रुपये की राशि के लिए, जो कि मामूली राशि है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, जो चुनौती के अधीन हैं, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है ताकि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति मिल सके। यदि आज से दो सप्ताह के भीतर ऐसा होता है, तो संबंधित प्राधिकारी दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से और सकारात्मक रूप से निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 4, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"